न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांभर लेक

पीठासीन अधिकारी : श्री प्रभुदयाल शर्मा आर0ए0एस0
वाद सं0 18/17
निर्णय दिनांक: 22.06.2018

1. सीताराम उर्फ सत्यनारायण पुत्र लक्ष्मण
2. नन्दलाल पुत्र लक्ष्मण
   समस्त जाति खाती नि0 सांमलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

वादीगण

बनाम

1. रामेश्वरलाल पुत्र सूरजकरण
2. लालचन्द पुत्र सूरजकरण
3. गंगाराम पुत्र सूरजकरण
4. रघुनाथ पुत्र सूरजकरण
5. चन्दा पुत्र रामेश्वर
6. गणेशलाल पुत्र रामेश्वर
7. समस्त जाति खाती नि0 सांमलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0

प्रतिवादीगण

वाद बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

निर्णय

संक्षेप में वाकयात इस प्रकार से हैं कि खाता सं0 90 की आराजी खं0नं0 361/2, 362, 363, 364, 365, 366, 367 किता 7 कुल रकबा 11 बीघा 17 विस्वा वाकै ग्राम सामलपुरा तह0 फुलेरा जिला जयपुर राज0 में स्थित है जिसमें वादीगण एवं उनकी माता प्रभाती व भाई मोहन, गड्डू, सुशीला पि. लक्ष्मण 1/2 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार है एंव मूलचन्द, राधेश्याम, बंशीलाल, बोदूराम पि0 भोलू शारदा पत्नि भोलू 1/2 हिस्सें के संयुक्त खातेदार काश्तकार है। विवादग्रस्त आराजीयात को खातेदारान मनबट के आधार पर पूर्वजों बांट रखी है जिसके आधार पर वादीगण के हिस्सें में खं0नं0 362 रकबा 1 बीघा 11 विस्वा सम्पूर्ण मनबट के आधार पर आयी हुयी है। जिस पर वादीगण काबिज काश्त है उक्त आराजी के चारों ओर मिट्टी की डोल लगी हुयी है। प्रतिवादीगण का उक्त आराजी खं0नं0 362 से किसी प्रकार का कोई संबंध नहीं है प्रतिवादीगण उत्तरी पश्चिम दिशा के पड़ौसी है प्रतिवादीगण की नियत खराब हो गयी ओर वह उक्त आराजी खं0नं0 362 की उत्तरी पश्चिमी कोहने की डोल तोड़कर अनाधिकृत कब्जा कर निर्माण करने पर उतारू है इस गरज से प्रतिवादीगण ने दिनांक 02.02.17 को उक्त आराजी खं0नं0 362 की उत्तरी पश्चिमी कोहने की डोल तोड़कर नींव खोदकर निर्माण करने पर उतारू हुये वादीगण ने उनको रोका तो प्रतिवादीगण नहीं माने व लड़ाई झगड़ा करने लगे व खुले आम कथित भूमि पर निर्माण करने व कब्जा करने की धमकी दी ऐसी स्थिति में वादीगण के लिये यह वाद बावत स्थायी निषेधाज्ञा का विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ।

उक्त वाद पेश होने पर दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को तलब किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से वकील श्री भागचन्द सामरिया ने

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

Scanned by CamScanner

वकालतनामा पेश किया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 अटल सेवा केन्द्र शार्दुलपुरा में पेश हुयी। वादी उपस्थित है परन्तु आदेशिका पर हस्ताक्षर करने से मना किया। प्रतिवादीगण की ओर से रामेश्वर ने जवाब दावा पेश किया जिसके अतिरिक्त कथन में अंकित किया कि खं0नं0 362 का सीमाज्ञान करवाये बिना उसकी मौका स्थिति की जानकारी संभव नहीं है इसलिए बिना सीमाज्ञान वादीगण कोई प्रार्थना पाने के अधिकारी नहीं है। खं0नं0 362 के वादीगण के अलावा अन्य सहखातेदार है जो प्रकरण में आवश्यक पक्षकार है प्रकरण में नॉन जोईन्डर ऑफ प्रार्टीज का दोष होने से वाद पत्र काबिलें खारिज है। वादीगण के मनबट के आधार पर खं0नं0 362 उनके हिस्सें में आना कथन कर वाद दायर किया है इसलिए इसका निर्धारण अन्य सहखातेदारों को पक्षकार कायम किये नहीं किया जा सकता इसलिए वाद खारिज योग्य है। प्रतिवादीगण का पर्चा खातेदारी से पूर्व ही कब्जा चला आ रहा है वादीगण स्वंय अतिक्रमी है जिन्होनें आबादी की भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है इसलिए न्यायहित में आबादी भूमि व खं0नं0 362 का सीमाज्ञान किया जाना आवश्यक है ताकि न्यायालय के समक्ष वास्तविक मौका स्थिति आ सके व न्याय निर्णय में सुविधा है।

पक्षकारान को मजमेंआम में सुना गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत जवाब का अवलोकन किया गया तो वादग्रस्त भूमि संयुक्त भूमि है जिसमें अन्य सहखातेदार को बिना बंटवारे पाबन्द किया जाना उचित नहीं मानते है यदि प्रार्थी को कोई आपति है तो अपनी आराजी का सीमाज्ञान करवा ले यदि सीमाज्ञान में प्रार्थी की भूमि अन्य के हिस्सें में आती है तो प्रार्थी धारा 183 की कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है इस निर्देश के साथ वादी का वाद खारिज किया जाना उचित समझतें है।

क्रियात्मक आदेश

अतः वादी का वाद खारिज किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा तैयार कर शामिल किया जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22.06.2018 को खुले राजस्व लोक अदालत केम्प शार्दुलपुरा मे टंकण कराया जाकर सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
सांभर लेक

अन्तिम डिक्री मुकदमा

(आर्डर 20 रूल 6–7 जाप्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी सांभर लेक   मुकाम सांभर लेक

बइजलास श्री प्रभुदयाल शर्मा, आर०ए०एस०

सीताराम उर्फ सत्यनारायण.   बनाम   रामेश्वरलाल वगै०

दावा बाबत आदेशात्मक निषेधाज्ञा एंव स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नंबर 18/17

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू श्री रूपनारायण कुमावत व हाजरी श्री भागचन्द सांभरिया मिनजानिब मुद्दई रूबरू पक्षकारान मिनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद खारिज किया जाता है। ....निज .... मुबलिग......... .... बाबत्............................... खर्चा इस मुकदमे के मय सूद बशरह.. .... फीसदी सालाना आज की तारीख से तारीख अदायगी तक.................................का अदा करे।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 22 माह 06 सन् 2018 को जारी की गई।

मुहर
ओहदा

दस्तखत.................

उप खण्ड अ...
...सांभर लेक

मुद्दई	रूपये	पैसे	मुद्दायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			महन्ताना वकील		
महन्ताना वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमीश्नर		
फीस कमीश्नर			बबत् इजराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

नोट :– इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो हरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Scanned by CamScanner